न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 17/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 6.8.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

सुरेश कुमार आत्मज मोहनलाल जाति महाजन निवासी अकलेरा जिला झालावाड–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री भारतसिंह अडसेला अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 20.5.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 48/17 उनवान राज0 सरकार जरिये जिला मजि0 झालावाड बनाम सुरेश कुमार मे पारित निर्णय दिनांक 17.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1600/97 को अवधि 1.1.2016 से 31.12.2018 तक नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर पुलिस अधीक्षक झालावाड से अनुज्ञापत्रधारी के आचरण एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के संबध मे रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होना प्रकट करते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित करते हुये असहमति प्रकट की गई। उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत जिला मजि0 झालावाड द्वारा अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबधित थाने मे जमा करने का आदेश क्रमांक 974 दिनांक 17.2.2017 पारित किया गया था। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील सं0 18/17 इस न्यायालय मे पेश की गई जिसे निर्णय दिनांक 22.5.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त रिमांड आदेश की परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने तत्समय पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्रांक 11293 दिनांक 24.10.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित करते हुये असहमति व्यक्त किये जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

1600/97 को निरस्त किया गया था। तत्समय की गई पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उपयुक्त नही होने से पूर्व मे पारित आदेश संख्या 974 दिनांक 17.2.2017 को जेरअपील निर्णय दिनांक 12.3.2018 से यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण नही किया तथा ना ही आलोच्य निर्णय मे अपना अभिमत प्रकट किया है, ऐसी स्थिति प्रकरण मे पारित जेरअपील आदेश स्पीकिंग आदेश की तारीफ मे नही आता है। पुलिस रिपोर्ट मे वर्णित मुक0 सं0 70 (78)/214मे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। अन्य कोई मुक0 दर्ज नही तथा ना ही विचाराधीन है। उक्त वर्णित मुकदमा भी शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। उक्त मुकदमे को आधार बनाकर प्रकरण मे पुलिस अधीक्षक से रिमांड निर्देशो की पालना मे नई रिपोर्ट तलब किये बिना ही पूर्ववर्ती रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील आदेश दिनांक 12.3.2018 पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट का अनुज्ञापत्र समय–समय पर नियमानुसार नवीनीकरण होता आ रहा है तथा 31.12.2015 तक नवीनीकृत है। अपीलांट के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नही है। ऐसी स्थिति मे अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण मे कोई कानूनी बाधा नही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.3.2018 एवं पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 17.2.2017 निरस्त किया जावे एंव अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1600/97 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 26.4.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे पूर्व मे प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 12293 दिनांक 24.10.2016 को ही आधार मानकर जेरअपील निर्णय दिनाक 12.3.2018 से पूर्व आदेश क्रमांक 974 दिनांक 17.2.2017 को यथावत रखने मे त्रुटि की है। पुलिस रिपोर्ट मे जिस मुकदमे का उल्लेख किया गया है उसका निर्णय माननीय न्यायालय से दिनांक 23.8.2016 को हो चुका है जिसमे अपीलांट को साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है निर्णय की छाया प्रति संलग्न है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा नवीनीकरण किये जाने मे असहमति प्रकट किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त मुकदमा शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। अपीलांट का लाईसेन्स दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही है आगामी अवधि के लिये लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने मे कोई कानूनी बाधा नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना पुलिस अधीक्षक की पूर्व प्रेषित उक्त विवेचित रिपोर्ट को ही पुन आधार मानकर जेरअपील आदेश दिनांक 12.3.2018 से पूर्व पारित आदेश दि 17.2.2017 को यथावत रखने मे कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अनु0 नवीनीकरण के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट को प्रकरण मे न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने से पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा नवीनीकरण की अनुशंसा

नही की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आर्म्स अनुज्ञापत्र पूर्व मे आदेश कमांक 974 दिनांक 17.2.2017 से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक झालावाड की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 12293 दिनांक 24.10.2016 के परिपेक्ष्य मे ही अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नही मानते हुये जेरअपील निर्णय दिनांक 12.3.2018 से पूर्व आदेश को यथावत रखा है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1600/97 को आगामी अवधि दिनांक 1.1.16 से 31.12.18 तक के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने उपरांत नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से अपीलार्थी के चाल चलन एवं आपराधिक प्रकरणों के संबध मे प्राप्त रिपोर्ट कमांक 12293 दिनांक 24.10.2016 अनुसार आवेदक के विरूद्ध दर्ज मु0 नं0 70/14 धारा 341,323, 325, 34 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.8.2016 को साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने से आर्म्स लाईसेन्स को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का लाईसेन्स पूर्व पारित आदेश कमांक 974 दिनांक 17.2.2017 से निरस्त किये जाने उपरांत अपीलार्थी द्वारा अपील सं0 18/17 प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 22.5.2017 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया।

6 न्यायालय हाजा के उक्त रिमांड आदेश के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने तत्समय पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा दिनांक 24.10.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे आवेदक को दर्ज मु0 नं0 70/14 धारा 341,323, 325, 34 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.8.2016 को साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने से आर्म्स लाईसेन्स को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किये जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1600/97 को निरस्त किया गया था। तत्समय की गई पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उपयुक्त नही होने से पूर्व मे पारित आदेश संख्या 974 दिनांक 17.2.2017 को जेरअपील निर्णय दिनांक 12.3.2018 से यथावत रखा गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पुलिस रिपोर्ट मे जिस मुकदमे का उल्लेख किया गया है उसका निर्णय माननीय न्यायालय से दिनांक 23.8.2016 को हो चुका है जिसमे अपीलांट को साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है निर्णय की छाया प्रति संलग्न है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा नवीनीकरण किये जाने मे असहमति प्रकट किया जाना न्यायोचित आधार नही है। उक्त मुकदमा शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। अपीलांट का लाईसेन्स दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही है। आगामी अवधि के लिये लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने मे कोई कानूनी बाधा नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना पुलिस अधीक्षक की पूर्व प्रेषित उक्त विवेचित

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

रिपोर्ट को ही पुनः आधार मानकर जेरअपील आदेश दिनांक 12.3.2018 से पूर्व पारित आदेश दि 17.2.2017 को यथावत रखने मे कानूनी त्रुटि की है।

7 अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा अपीलांट के विरूद्ध दर्ज मु0 नं0 70/14 धारा 341,323, 325, 34 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.8.2016 को साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने से आर्म्स लाईसेन्स को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किये जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1600/97 को निरस्त किया गया था जिसके आधार पर पूर्व मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक 974 दिनांक 17.2.2017 से अपीलांट का लाईसेन्स निरस्त किया गया जिसे जेरअपील निर्णय दिनांक 12.3.2018 से यथावत रखा गया है। प्रकरण मे यह तथ्य विवेचनीय है कि जिस प्रकरण के आधार पर पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई उक्त मुक0 सं0 70/14 धारा 341,323, 325, 34 आईपीसी मे अपीलार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.8.2016 को साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। सजायाब नही किया गया है। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक समय–समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा है। अतः उक्त तथ्यो के आलोक मे पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा दिनांक 24.10.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किया जाना न्यायोचित आधार नही ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो का समुचित परीक्षण नही किया तथा ना ही न्यायालय हाजा के पूर्व अपील मे पारित रिमांड निर्देशो के परिपेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से कोई नवीन रिपोर्ट ही प्राप्त की गई बल्कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 24.10.2016 को ही आधार मानकर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.3.2018 पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है। फलत् उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 48/17 उनवान राज0 सरकार जरिये जिला मजि0 झालावाड बनाम सुरेश कुमार मे पारित निर्णय दिनाक 12.3.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपीलार्थी के चाल–चलन तथा आपराधिक गतिविधियों के संबध मे वर्तमान वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

8 निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा